न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 147 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–333 जं0वि0अधि0

बसन्तलाल पुत्र गैणा मिस्त्री निवासी ग्राम नैथाणा पट्टी चौरास तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल।

बनाम

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल, 2. शिवचरण पुत्र कत्तू ग्राम नैथाण पट्टी चौरास तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल, 3. ग्राम पंचायत नैथाणा द्वारा ग्राम प्रधान नैथाणा, पट्टी चौरास तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या–2 : श्री एस0के0 सुन्दरियाल।

अधिवक्ता राज्य सरकार : श्री विनोद कुमार डिमरी (डी0जी0सी0)

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा अपील संख्या–29 / 12–13 शिवचरण सिंह बनाम बंसतलाल व अन्य अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0 में पारित निर्णयादेश दिनांक 03–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

निगरानीकर्ता / वादी ने मौजा नैथाण पट्टी चौरास के ख़तौनी खाता संख्या नं0–01 के खसरा नं0–1954, 1955, 1956, 1957, 1958 व 1959 कुल क्षेत्रफल–0.237 हे0 पर प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर भूमिधरी घोषित किये जाने हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल के न्यायालय में दिनांक 27–04–2005 को प्रस्तुत किया जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, कीर्तिनगर ने पक्षकारों को सुनने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 21–06–2010 से निगरानीकर्ता / वादी के पक्ष में आज्ञप्त / डिक्री किया। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, कीर्तिनगर के आदेश दिनांक 21–06–2010 के विरूद्ध उत्तरदाता / प्रतिवादी संख्या–1 ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे विद्वान अपर आयुक्त ने यह कहते हुए स्वीकार किया कि घोषणात्मक वाद में पारित

आदेश से यह विदित है कि अवर न्यायालय द्वारा घोषणात्मक वाद के निस्तारण हेतु जो 4 वाद बिन्दुओं का सृजन किया गया है उनका विनिश्चयन सरसरी तौर पर किया गया है। कहीं भी वाद बिन्दुओं में प्रतिकूल कब्जा किस तिथि से प्रारम्भ हुआ है तथा क्या वादी का कब्जा प्रतिकूल है पर कोई विनिश्चयन नही किया गया है। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आज्ञप्ति को निरस्त करते हुए वाद का निस्तारण साक्ष्यों के आधार पर करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। इसी प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 03–11–2015 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम अपील कालबाधित थी, यद्यपि अपीलीय ज्ञाप 01–07–2010 को प्रस्तुत किया गया परन्तु अपील पत्रावली दिनांक 29–05–2013 को प्रस्तुत हुई एवं पत्रावली इतने वर्षों तक कंहा रही स्पष्ट नही है तद्नुसार आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार से परे है, कि वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्ता द्वारा 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्थानीय रिवाज के अनुसार क्रय की गई थी, कि पूर्व में निगरानीकर्ता जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसके पिता वादग्रस्त भूमि का लगान देते थे बाद में लगान देना बन्द कर दिया गया, कि वाद पत्रावली पर साक्ष्य सम्पूर्णता में प्रस्तुत हुआ है एवं सभी विवादयक गुण–दोष के आधार पर निर्णीत हुए है। दूसरी ओर उत्तरदाता संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिप्रेषण आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नही है, कि दिनांक 21–06–2010 के निर्णय व आज्ञप्ति के विरूद्ध दिनांक 01–07–2010 को अपील योजित की गई है अतः अपील कालबाधित नही है, कि पत्रावली का प्रस्तुतीकरण न्यायालय के अधीन है जिसके लिए उत्तरदाता को दोषी नही ठहराया जा सकता, कि परीक्षण न्यायालय द्वारा एक–एक पंक्ति में विवादयक विनिश्चयित कर दिये गये है जिसे निर्णय की संज्ञा नही दी जा सकती है तद्नुसार प्रतिप्रेषण आदेश न्यायहित में है, कि लगान देने की स्वीकारोक्ति होने के उपरान्त भी प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर वाद आज्ञप्त किया जाना अवैधानिक है जबकि निगरानीकर्ता गांव में रहता ही नही है एवं कि प्रतिप्रेषण के उपरान्त निगरानीकर्ता अपना पूर्ण पक्ष परीक्षण न्यायालय में रख सकता है।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल के आदेश दिनांक 21–06–2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद के निस्तारण हेतु जो चार विवाद्यक स्थिरीकृत किये गये है उनका विनिश्चयन सरसरी तौर पर किया गया है। उनके विनिश्चयन में कही भी यह सिद्ध नही है कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है तथा यह भी सिद्ध नही है कि प्रतिकूल कब्जा कब से चला आ रहा है। वाद बिन्दुओं को किन साक्ष्यों के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णीत किया गया है इस सम्बन्ध में कोई सुव्यक्त एवं सुविचारित मत नही अंकित किया गया है। मात्र विरोधाभासी कथनों एवं संदिग्धता प्रकट करने सम्बन्धी बिन्दु के आधार पर विवादयक वादी के पक्ष में निर्णीत किये

गये है। किसी भी विवाद्यक को सकारात्मक अथवा नकारात्मक निर्णीत करने के आधार स्पष्ट किये जाने चाहिए एवं ऐसे आधार साक्ष्य अथवा संस्वीकृति सम्मत होने चाहिए जो कि आलोच्य वाद में नही हुआ है। विद्वान अपर आयुक्त ने भी अपने निर्णयादेश दिनांक 03–11–2015 से भी मूल आज्ञप्ति/डिक्री के पारित किये जाने में वैधानिक अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए ही मूल वाद साक्ष्यों के अनुरूप गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने के निर्देश पारित किये है जो कि मेरी राय में उचित है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निगरानी अस्वीकृत की जाती है। मूल वाद पत्रावली विचारण न्यायालय को इस आशय से प्रति प्रेषित की जाती है कि मूल वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर प्रत्येक विवाद्यक का विनिश्चयन साधार एवं सुव्यक्त (reasoned and speaking) रूप से कर यथाशीघ्र करें। अवर अपीलीय न्यायालय की पत्रावली वापस व इस न्यायालय पत्रावली सँचित हो। पक्षकार दिनांक 30–11–2016 को विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 14–10–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।